भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3864
11 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

रक्षा उपकरणों की खरीद और उत्पादन

3864. श्री गौतम सिगामणि पोन:
श्री एस.आर.पार्थिबन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान रक्षा उपकरणों की खरीद और उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उत्पादन के संबंध में अगले पांच वर्षों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या रूपरेखा बनाई गई है;

(घ) अत्याधुनिक रक्षा उत्पादों के विनिर्माण के संबंध में नीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

लोक सभा में दिनांक 11.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 3864 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): विगत पांच वर्षों अर्थात 2014-15 से 2018-19 में रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति और उत्पादन के ब्यौरे निम्न सारणी में दिए गए हैं:-

(कीमत करोड़ रुपये में)

वर्ष	**पूंजीगत व्यय** (सीजीडीए से प्राप्त डाटा के आधार पर)	**ओएफबी और डीपीएसयू के उत्पादन की कीमत (वीओपी)**
2014-15	65859.98	46389.99
2015-16	62341.86	52773.72
2016-17	69150.12	55614.29
2017-18	72732.29	61784.36
2018-19	75920.75	60597.33

(ख) और (ग): स्वदेशी रक्षा उपस्कर के उत्पादन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। सशस्त्र सेनाओं द्वारा रक्षा उपस्करों की विभिन्न घरेलू विक्रेताओं के साथ-साथ विदेशी विक्रेताओं से पूंजीगत अधिप्राप्ति, खतरे की आशंका, संक्रियात्मक चुनौतियों और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के आधार पर सुरक्षा चुनौतियों के संपूर्ण आयाम से निपटने हेतु सशस्त्र सेनाओं को तैयारी की स्थिति में बनाए रखने के लिए की जाती है।

(घ) और (ड़): सरकार ने अत्याधुनिक रक्षा उत्पादों के स्वदेशी विनिर्माण हेतु और भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहलें की गई है।

(i) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) में 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' और 'खरीदो और बनाओ श्रेणी, जिसमें विदेशी ओईएम से स्वदेशी विनिर्माण करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। अन्य श्रेणी 'खरीदो {भारतीय-आईडीडीएम (स्वदेशी अभिकल्पित, विकसित और विनिर्मित)} रक्षा उपस्कर के स्वदेशी अभिकल्पन और

विकास के लिए तथा इस श्रेणी में पूंजीगत उपस्कर की अधिप्राप्ति हेतु तदनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता उपलबध कराता है।

(ii) विदेशी ओईएम द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी संस्थानों सहित भारतीय उद्यमों के लिए ऑफसेट दायित्वों को पूरा करना भी शामिल किया गया है।

(iii) सरकार ने 'सामरिक साझेदारी (एसपी) माडल' अधिसूचित किया है जिसमें एक पारदर्शी और प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए भारतीय संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक सामरिक साझेदारियां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिनमें वे प्रौद्योगिकी अंतरणों के लिए वैश्विक मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ गठबंधन करेंगे ताकि घरेलू विनिर्माण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की जा सकें।

(iv) अप्रैल, 2018 में रक्षा के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष (आईडीईएक्स) शीर्षक से एक नवोन्मेष पारिप्रणाली शुरू की गई है। आईडीईएक्स का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट अप्स, वैयक्तिक नवोन्मेषकों, अनुसंधान और विकास संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों सहित उद्योगों को शामिल कर रक्षा और एयरोस्पेस में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिप्रणाली का सृजन करना है और उन्हें अनुदान/निधीयन अन्य सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे रक्षा और अनुसंधान कर सकें जिसकी भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस आवश्यकताओं के लिए भविष्य में अपनाने की संभावना है।

(v) उपर्युक्त के अलावा, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) ने तीनों सेनाओं, रक्षा उत्पादन तथा डीआरडीओ की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रौ द्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) के रूप में कार्यक्रम शुरू किया है। निजी उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके 'मेक इन इंडिया' के भाग के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता को प्रोत्साहित करने हेतु योजना स्थापित की गई है।

(vi) एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है और संशोधित नीति के अनुसार, 49 प्रतिशत तक एफडीआई के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत और जहां कहीं इसके फलस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों हेतु 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई सरकारी मार्ग के जरिए अनुमत है।

(vii) रक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2018 में 'मिशन रक्षा अभियान शक्ति' शीर्षक के साथ नए फ्रेमवर्क को प्रारम्भ किया है जिसका उद्देश्य रक्षा उद्योग में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) परिवेश को बढ़ावा देना है ।

(viii) विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध परीक्षण सुविधाएं/अवसंरचना को रक्षा प्रणालियों के अभिकल्पन तथा विकास में निजी क्षेत्र की सहायता करने के उद्देश्य से उनको उपलब्ध करवाया गया है।

****